

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
आकाशवाणी : रोहतक

क्र० रो० 1(2)/ओ.बी/19-20

दिनांक:-06-09-2019

विषय:- दैनंदिन रखरखाव का कार्य।
महोदय,

यह कार्यालय उपरोक्त विषय हेतु और अगले पृष्ठ पर निर्देशित शर्तों के अनुसार मुहरबन्द निविदा आमंत्रित कर रहा है।

निविदा मुहरबन्द लिफाफे में निम्नलिखित पते पर 27 सितम्बर 2019 के 15:00 बजे तक पहुंचने चाहिये। पता: अभियान्त्रिकी प्रमुख, आकाशवाणी रोहतक।

मुहरबन्द लिफाफे पर उपरोक्त विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करें।
यह निविदा दिनांक 27 सितम्बर 2019 को दोपहर 15:05 बजे खोली जायेगी।

Sr. No.	Description of work (विवरण)	Quantity of work	Amount per month RS.
1	Cleaning and help in maintenance of CR, Studio, CES, STL DG sets, AC plants, split ACs, Server room and 10 KW FM transmitter at Rohtak.	01 Job (Monthly Basis)	
2	Cleaning and help in maintenance of Transmitter, DG sets STL, ATU, Emergency Studio, AC plants and split AC at Madina.	01 Job (Monthly Basis)	

कोटेशन के साथ सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में रू०-10000/- DD के माध्यम से आकाशवाणी, रोहतक के नाम पर जमा करवाना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट आकाशवाणी, रोहतक के favor में बनवाना होगा।

निविदा की सभी नियम व शर्तें संलग्न हैं।

भवदीय,




(कुलदीप सिंह गुलिया)
अभियान्त्रिकी प्रमुख

नियम व शर्तें इस प्रकार हैं:-

1. निविदा 31 मार्च 2020 तक वैध होनी चाहिए।
2. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन खारिज करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। कोटेशन खारिज करने के कारणों को किसी भी पार्टी को सूचित नहीं किया जाएगा।
3. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक महीने की समाप्ति के बाद बिल प्रस्तुत करेगा तथा भुगतान महीने के आधार पर किया जायेगा। बिल ठेकेदार द्वारा अगले महीने की 7 तारीख तक देना होगा और भुगतान सन्तोषजनक कार्य के बाद किया जायेगा।
4. निविदा की स्वीकृति दरें वैधता अवधि के दौरान बनाई रखनी होगी।
5. एजेंसी मानवशक्ति तैनात करने के लिए संबंधित सभी कानूनी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी इस कार्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी स्थिति में इस कार्यालय में उनके द्वारा तैनात व्यक्ति के लिए किए गये किसी भी मुआवजे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। उनसे संबंधित किसी भी कानूनी मामले के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी। तैनाती व्यक्ति किसी भी प्रकार की स्थायी नौकरी के लिए दावा नहीं करेगा।
6. एजेंसी को भारत सरकार के प्रांसगिक मौजूदा श्रम कानून के नियमों का पालन करना होगा।
7. एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता और काम के लिए तैनात किए गए व्यक्तियों का व्यवहार प्राधिकारी को स्वीकार्य होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को अनुपयुक्त पाया जायेगा तो उसे एजेंसी द्वारा बदला जाएगा।
8. निम्नलिखित दस्तावेज कोटेशन के साथ
9. जमा करवाना अनिवार्य है। विवरण इस प्रकार है:-
 - a) Copy of GST certificate.
 - b) Copy of PAN Card.
 - c) Experience certificate in Govt./Semi Govt.
 - d) Copy of Audited Income Tax returns of last two previous years.

10. वेतन का भुगतान पूर्ण रूप से NEFT के माध्यम से किया जाएगा।
11. कार्य आंबटित होने पर तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए।
12. आकाशवाणी के परिसर में निर्माण के लिए लगे हुए मजदूरों/दिहाड़ी श्रमिकों के सभी मामलों के लिए पूरी तरह एजेंसी जिम्मेदार रहेगी। उनके वेतन, बीमा- (ESIS)
13. सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और अन्य चीजों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/श्रम कानूनों में प्रावधान के अनुसार एजेंसी ने पालन करना चाहिए। आकाशवाणी, रोहतक की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस बारे में कार्य आंबटित होने के बाद एजेंसी उपक्रम पत्र प्रस्तुत करेगी। इससे संबंधित किसी तरह के न्यायिक तथा गैरन्यायिक सवालों का उत्तर देने के लिए आकाशवाणी, रोहतक बाध्य नहीं होगा।
14. सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अनहोनी घटना होती है या किसी भी दुर्घटना के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी।
15. यदि लागू हो तो आयकर केवल काम के लिए निर्धारित दरों पर बिल से काटा जाएगा।
16. तैनाती व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ऊपर अथवा नाबालिग नहीं होना चाहिए।
17. तैनाती व्यक्ति का Police Verification भी एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।
18. सभी निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा भेजने से पूर्ण कार्य के विवरण वाले कालम में दर्शाये गये विवरण का अवलोकन करने के पश्चात् दर भेजें।
19. सकल निविदाकर्ता की Security Deposit के बराबर की राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी, आकाशवाणी, रोहतक के पक्ष में एक वर्ष के लिए जमा करानी होगी।
20. नियम एवं शर्तों के फार्म पर फर्म की मोहर व हस्ताक्षर कर निविदा के साथ भेजे।

भवदीय,



(कुलदीप सिंह गुलिया)

अभियान्त्रिकी प्रमुख